



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042023-244941
CG-DL-E-05042023-244941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]
No. 221]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2023/चैत्र 13, 1945
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2023/CHAITRA 13, 1945

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2023

सं. 710/1(एम)/2.—कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कंपनी सचिव विनियम, 1982 में और संशोधन करने के लिए कुछ विनियमों का मसौदा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III—खण्ड 4, सं. 710/1(एम)/1, दिनांक 12 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित किया गया था। जिसके द्वारा इससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव तीस दिन की अवधि की समाप्ति के भीतर अमंत्रित किये गए थे, उक्त अधिसूचना वाले आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराई गई थी ;

उक्त अधिसूचना वाले आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां आम जनता को दिनांक 12 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध कराई गई थी;

और जबकि, जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर परिषद् द्वारा विधिवत विचार किया गया है ;—

इसलिए अब, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उप-धारा (1) और (3) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, परिषद्, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, कंपनी सचिव विनियम, 1982 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है; अर्थात् ;—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन विनियमों को कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकता है।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कंपनी सचिव विनियम, 1982 (इसके बाद उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) में — विनियम 88 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ;—

“88. परिषद की बैठकें — परिषद प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित करेगी, जिसमें परिषद द्वारा निर्धारित ऐसे समय और स्थान पर (इलेक्ट्रॉनिक मोड सहित) अधिकतम एक सौ बीस दिनों के अंतराल के बीच लगातार दो बैठकें आयोजित की जा सकती हैं”।

बशर्ते कि यदि परिषद तिथि या स्थान (इलेक्ट्रॉनिक मोड सहित) निर्धारित नहीं करती या विफल रहती है तो इन परिस्थितियों में अध्यक्ष ऐसी बैठकें तय कर सकते हैं।

3. उक्त विनियमों के विनियम 90 के उप-विनियम (1) में “पंजीकृत पता” शब्दों के स्थान पर “और संस्थान के रिकार्ड के अनुसार ई-मेल पता” शब्द जोड़ा जाएगा ;
4. उक्त विनियमों के विनियम 92 में “संख्या” शब्द के स्थान पर “सदस्य” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
5. उक्त विनियमों के विनियम 93 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) यदि बैठक के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं है, तो उसे अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और स्थान पर स्थगित कर दिया जाएगा, या यदि उस दिन राष्ट्रीय अवकाश है तो अगले दिन जो राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, उसी समय एवं स्थान पर और यदि स्थगित बैठक में भी कोरम नहीं है, तो बैठक रद्द कर दी जाएगी।”

6. उक्त विनियमों के विनियम 96 को उसके उप-विनियम (1) के रूप में कर्मांकित किया जाएगा और इस प्रकार कर्मांकित उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बैठक की कार्यवाही सही ढंग से दर्ज की गई है और उसके पास ऐसे किसी भी मामले को कार्यवृत्त से बाहर करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा जो उसकी राय में किसी व्यक्ति के लिए यथोचित रूप से मानहानि के रूप में माना जा सकता है।”

7. उक्त विनियमों के विनियम 105ए और 105बी के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :-

“105ए. बोर्ड का गठन.— (1) परिषद एक सचिवीय मानक बोर्ड और लेखा परीक्षा मानक बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसे परिषद द्वारा सौंपे गये ऐसे कार्यों को करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन गठित बोर्ड परिषद के देखरेख, नियंत्रण और निर्देशन के अधीन कार्य करेंगे और इसमें आईसीएसआई के सदस्य जो या तो रोजगार में या प्रैक्टिस में हों शामिल हो सकते हैं और ऐसे नियामक प्राधिकरणों के प्रतिनिधि, परिषद द्वारा निर्धारित किये जा सकते हैं।

(3) उप-विनियम (2) में संदर्भित सदस्य का किसी भी ऐसे मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आर्थिक हित है, जिसे बोर्ड के विचार के लिए लाया जाता है, तो वह ऐसे मामले में अपने हित की प्रकृति का प्रकटन करेगा और इसी तरह के प्रकटकरण को बोर्ड की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा।

(4) उप-विनियम (3) में संदर्भित सदस्य जो अपने हित की प्रकृति का प्रकटन करता है, बोर्ड के विचारार्थ लाए गए मामलों पर बोर्ड के किसी भी विचार-विमर्श या निर्णय में भाग नहीं लेगा।

व्याख्या: इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, “आर्थिक हित” का मतलब है उचित वित्तीय लाभ की उचित संभावना या अपेक्षा।

(5) इस विनियम में विशेष रूप से दिये गए प्रावधानों के अलावा, परिषद और उसकी समितियों की बैठकों, सूचना, स्थगन, पुनर्निर्धारण, कोरम, संकल्प पर विचार और कार्यवृत्त के संबंध में प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित बोर्ड की बैठकों पर लागू होंगे”।

“105बी. शैक्षणिक बोर्ड. — (1) परिषद एक शैक्षणिक बोर्ड गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) अध्यक्ष, जो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और किसी विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त प्रबंधन संस्थान में कुलपति के पद पर रहे हों या हों;

(ख) एक प्रोफेसर जो किसी विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय में अकाउंटेंसी, वित्त, कानून या व्यवसाय प्रबंधन में हो;

- (ग) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो;
- (घ) वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों द्वारा नामांकित एक व्यक्ति;
- (ङ) संस्थान के दो प्रतिष्ठित सदस्य, जिसमें से एक अभ्यासरत सदस्य होगा और दूसरा रोजगार से;
- (च) विधि व्यवसाय से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति;
- (छ) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति;
- (ज) मानव संसाधन के क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति;
- (झ) प्रशिक्षण एवं शैक्षिक सुविधा समिति के अध्यक्ष—पदेन;
- (ञ) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान विजन ग्रुप, यदि कोई हो, के अध्यक्ष, — पदेन;
- (ट) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामिती जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो;
- (ठ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक नामिती जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो;
- (ड) संस्थान के सचिव — पदेन; और
- (ढ) शैक्षणिक निदेशालय के प्रमुख शैक्षणिक बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे।
- बशर्ते कि पूर्वोक्त सदस्यों में से किसी एक या अधिक के न भरे जाने या रिक्त होने से बोर्ड के गठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- (2) अध्यक्ष शैक्षणिक बोर्ड की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे।
- (3) शैक्षणिक बोर्ड के सदस्य उस अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो परिषद द्वारा निर्धारित की जा सकती है और शैक्षणिक बोर्ड में किसी भी रिक्ति को परिषद द्वारा उसी तरह से भरा जाएगा जिस तरह से सदस्य की सदस्यता हुई थी।
- (4) शैक्षणिक बोर्ड के सदस्य ऐसे बैठक शुल्क, यात्रा, वाहन और अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जो परिषद द्वारा निर्धारित किये जा सकते हैं।
- बशर्ते कि, परिषद सदस्य किसी भी बैठक शुल्क के लिए हकदार नहीं होगा।
- (5) शैक्षणिक बोर्ड को छात्रों से संबंधित सभी शैक्षणिक गतिविधियों की योजना एवं कार्यान्वयन का कार्य सौंपा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- (क) आर्थिक और नियामक परिवेश का अवलोकन;
- (ख) पाठ्यक्रम और इसकी सामग्री को डिजाइन करना तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा एवं संशोधन करना;
- (ग) शिक्षा की पद्धति की डिजाइनिंग;
- (घ) प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं उन्हें अंतिम रूप देना;
- (ङ) परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन पणाली की डिजाइनिंग;
- (च) जब भी आवश्यक हो, परिषद को आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करना; और
- (छ) कोई अन्य संबंधित शैक्षणिक मामला :

बशर्ते कि, बोर्ड उपरोक्त की प्रभावशीलता की नियमित रूप से निगरानी करेगा और जब भी आवश्यक हो, परिषद को आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करेगा।

बशर्ते कि, शैक्षणिक बोर्ड के संदर्भ की शर्तों में कोई अन्य क्षेत्र शामिल हो सकता है, जैसा कि परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

- (6) शैक्षणिक बोर्ड की बैठक आवश्यकता पड़ने पर होगी, तथापि, छमाही आधार पर कम से कम एक बैठक आयोजित होगी और दो बैठकों के बीच चार माह से अधिक का अन्तर नहीं होगा।
- (7) शैक्षणिक बोर्ड के न्यूनतम एक तिहाई सदस्य ही कोरम का गठन करेंगे।
- (8) यदि सदस्य का किसी भी मामले में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आर्थिक हित है, जो शैक्षणिक बोर्ड के विचारार्थ लाया जाता है, तो ऐसे मामले में वह अपने हित की प्रकृति का खुलासा करेगा और इस तरह का प्रकटीकरण बोर्ड की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा।

- (9) उप-विनियम (8) में निर्दिष्ट सदस्य उक्त उप-विनियम में संदर्भित मामले पर बोर्ड के किसी भी विचार-विमर्श या निर्णय में भाग नहीं लेगा।
- (10) शैक्षणिक बोर्ड समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित संस्थान के समग्र नीतिगत ढांचे और विजन के अनुसार कार्य करेगा।
- (11) शैक्षणिक बोर्ड को सौंपे गए या दिए गए कार्यों के प्रदर्शन में लिए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार परिषद को होगा।
- (12) परिषद लिखित में उन कारणों को दर्ज करेगी जहां वह शैक्षणिक बोर्ड की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है और इसका खुलासा संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में करेगी।”
8. उक्त विनियमों के विनियम 107 में,—
- (क) उप-विनियम (2) में, शब्द “ऐसी जगह” के बाद कोष्ठक और शब्द “(इलेक्ट्रॉनिक मोड सहित)” जोड़ा जाएगा।
- (ख) उप-विनियम (4) में, शब्द “और जगह” के बाद कोष्ठक और शब्द “(इलेक्ट्रॉनिक मोड सहित)” जोड़ा जाएगा।
9. उक्त विनियमों के विनियम 119 में, उप-विनियम (2) में,—
- (क) अंक, अक्षर और शब्द “बाद के वर्ष की पहली जनवरी से उस वर्ष के 31 दिसंबर तक,” के लिए अंक, अक्षर और शब्द “बाद के वर्ष की 19 जनवरी से अगले वर्ष की 18 जनवरी तक” प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) परंतुक में, “पदाधिकारियों” शब्द के बाद, “पदाधिकारी को छोड़कर जो किसी भी समय अक्षय का पद धारण कर चुके हैं” शब्दों को जोड़ा जाएगा।

सी. एस. आशीष मोहन, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./001/2023-24]

नोट : प्रमुख विनियम अधिसूचना आईसीएसआई नं. 710/2 (1) दिनांक 16 सितम्बर, 1982 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे और निम्नलिखित के माध्यम से बाद में संशोधन हुआ:

- (i) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम(1) दिनांक 30 मार्च, 1984;
- (ii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम(1) दिनांक 3 मई, 1984;
- (iii) अधिसूचना सं. 710:2:एम(1) दिनांक 30 दिसम्बर, 1985;
- (iv) अधिसूचना सं. 710(2)(एम)(1) दिनांक 23 फरवरी, 1987;
- (v) अधिसूचना सं. 710(2)(एम)(1) दिनांक 9 मार्च, 1987;
- (vi) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710 (2) (एम) (2) दिनांक 22 अगस्त, 1988;
- (vii) अधिसूचना सं. 710(2)(एम)(2) दिनांक 23 अगस्त, 1988;
- (viii) अधिसूचना सं. 710/1(एम)/1/18 दिनांक 20 अगस्त, 1993 एवं 24 नवम्बर, 1993;
- (ix) अधिसूचना सं. 710/1(एम)/17 दिनांक 21 फरवरी, 1995;
- (x) अधिसूचना सं. 710/1(एम)/20 दिनांक 28 नवम्बर, 1996;
- (xi) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम/26 दिनांक 10 अगस्त, 2001;
- (xii) अधिसूचना सं. 710/1/(एम)/1 दिनांक 4 मई, 2006;
- (xiii) अधिसूचना सं. 710/1/(एम)/1 दिनांक 26 जून, 2006;
- (xiv) अधिसूचना सं. 531:विधिक:710/1(एम)/1 दिनांक 26 जुलाई, 2010;
- (xv) अधिसूचना सं. 710/1(एम)/2 दिनांक 4 जून, 2012;
- (xvi) अधिसूचना सं. 710/1(एम)/1 दिनांक 1 अप्रैल, 2014;
- (xvii) अधिसूचना सं. 710/1(एम)/1 दिनांक 3 फरवरी, 2020

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2023

No.710/1(M)/2.—WHEREAS the draft regulations further to amend the Company Secretaries Regulations, 1982 were published as required by sub-section (3) of section 39 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, dated the 12th April, 2022, vide notification of the Institute of Company Secretaries of India number 710/1(M)/1, dated the 12th April, 2022, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the general public;

AND WHEREAS, copies of the said Gazette were made available to the general public on the 12 April, 2022;

AND WHEREAS, objections and suggestions as received from the public have been duly considered by the Council;-

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of the section 39 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Company Secretaries Regulations, 1982, namely:-

1. Short Title and Commencement: -

(1) These regulations may be called the Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Company Secretaries Regulations, 1982(hereinafter referred to as the said regulations), for regulation 88, the following regulation shall be substituted, namely:-

“88. Meetings of the Council. –The Council shall hold at least four meetings in each Calendar Year with a maximum interval of one hundred and twenty days between any two consecutive meetings at such time and place (including electronic mode) as the Council may determine:

Provided that if the Council does not fix the date or place (including electronic mode) or the circumstances so warrant, the President may fix such meetings”.

3. In regulation 90 of the said regulations, in sub-regulation (1), of after the words “the registered address”, the words “or e-mail address as per the records of the Institute” shall be inserted.

4. In regulation 92 of the said regulations, for the word “number”, the word “member” shall be substituted;

5. In regulation 93 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) If a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting the same shall be adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or, if that day is a National Holiday, to the next succeeding day which is not a National Holiday, at the same time and place and if there is no Quorum at the adjourned Meeting also, the Meeting shall stand cancelled”.

6. Regulation 96 of the said regulations shall be numbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation (1) as so numbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(2) The Chairman shall ensure that the proceedings of the Meetings are correctly recorded and he shall have absolute discretion to exclude from the Minutes any such matters which in his opinion is or could reasonably be regarded as defamatory to any person”.

7. For regulations 105A and 105B of the said regulations, the following regulations shall be substituted, namely:

“105A. Constitution of Boards.- (1) The Council may constitute a Secretarial Standards Board and an Auditing Standards Board as it may deem necessary for the purposes of carrying out such functions as may be assigned by the Council.

(2) The Boards constituted under sub-regulation (1) shall function under the supervision, control and direction of the Council and may comprise of members of the Institute of Company Secretaries of India either in employment or in practice and representatives of such regulatory authorities, as may be determined by the Council.

(3) If the member referred to in subregulation (2) has any pecuniary interest, direct or indirect in any such matter which is brought up for consideration of the Board, he shall disclose the nature of his interest in such matter and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Board.

(4) The member referred to sub-regulation (3) who disclaims his interest shall not take part in any deliberation or decisions of the Board on matters brought up for consideration of the Board.

Explanation.-For the purposes of this regulation, “pecuniary interest” means a reasonable likelihood or expectation of appreciable financial gain.

- (5) Except as provided specifically in this regulation, the provisions in respect of meetings of the Council and its Committees, notice, adjournment, rescheduling, quorum, consideration of resolution and minutes shall be applicable to the meetings of the Boards *mutatis mutandis*.

“105B. Academic Board.- (1) The Council shall constitute an Academic Board consisting of the following members, namely:-

- (a) a Chairperson, who shall be a person of eminence or holding or has held the office of Vice-Chancellor in any University or deemed University or any recognized Management Institute;
- (b) one professor in accountancy, finance, law or business management from any University or deemed University;
- (c) one representative of the Ministry of Corporate Affairs not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India;
- (d) one person to be nominated by the Chambers of Commerce and Industry;
- (e) two eminent members of the Institute, out of which one shall be practising member and another from employment;
- (f) one eminent person from the legal profession;
- (g) one eminent person from the field of information technology;
- (h) one eminent person from the field of Human Resources;
- (i) Chairman of Training and Educational Facilities Committee -*ex-officio*;
- (j) Chairman of the Institute of Company Secretaries of India Vision Group, if any, -*ex-officio*;
- (k) A nominee of University Grant Commission not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India;
- (l) A nominee of All India Council for Technical Education not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India;
- (m) Secretary of the Institute -*ex-officio*; and
- (n) The Head of the Directorate of Academics shall be the member Secretary to the Academic Board.

Provided that, non-filling or vacancy of any one or more of the aforesaid members shall not affect the constitution of the Board.

- (2) The President shall be the special invitee in the meetings of the Academic Board.
- (3) The member of the Academic Board shall hold office for such term as may be determined by the Council and any vacancy in the Academic Board shall be filled by the Council in the same manner as the member whose vacancy occurred was filled.
- (4) The member of the Academic Board shall be entitled to such sitting fee, travelling, conveyance and other allowances as may be determined by the Council:

Provided that Council Member shall not be entitled for any sitting fee.

- (5) The Academic Board shall be entrusted with the task of planning and implementation of all academic activities related to students including, -
 - (a) scanning of the economic and regulatory environment;
 - (b) designing the syllabus and its contents and periodical review and revision thereof;
 - (c) designing mode of education;
 - (d) assessing and finalisation of the training requirements;
 - (e) designing the mode of examination and evaluation system;
 - (f) recommending necessary changes to the Council, as and when required; and
 - (g) any other related academic matter:

Provided that the Board shall regularly monitor the effectiveness of the above and recommend necessary changes to the Council, as and when required.

Provided further that the terms of reference of the Academic Board may include any other area as may be determined by the Council.

- (6) The Academic Board shall meet as and when required, however, at least one meeting shall be held on half yearly basis and there shall not be a gap of more than four months between two meetings.
- (7) Not less than one third members of the Academic Board shall constitute the quorum.

- (8) If the member has any pecuniary interest, direct or indirect, in any matter which is brought up for consideration of the Academic Board, he shall disclose the nature of his interest of such matter and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Board.
- (9) The member referred to in sub-regulation (8) shall not take any part in any deliberation or decision of the Board on the matter referred to in the said sub-regulation.
- (10) The Academic Board shall work as per the overall policy framework and vision of the Institute as decided by the Council from time to time.
- (11) The Council shall review any decision taken by the Academic Board in the performance of functions assigned or delegated to it.
- (12) The Council shall record the reasons in writing where it does not accept any recommendation of the Academic Board and shall disclose the same in the Annual Report of the Institute.”
- 8 In regulation 107 of the said regulations,-
- (a) in sub-regulation (2), after the words “such place”, the bracketsand words “(including electronic mode)” shall be inserted;
- (b) in sub-regulation (4), after the words, “and place”, the bracketsand words “(including electronic mode)” shall be inserted;
- 9 In regulation 119 of the said regulations, in sub-regulation (2), -
- (a) for the figures, letter and words “1st January of the subsequent year till the 31st December of that year,” the figures, letters and words “the 19th January of the subsequent year till the 18th January of the next year,” shall be substituted;
- (b) in the proviso, after the words “office bearers”, the words “excluding the office bearer who at any point of time held the position of Chairman” shall be inserted.

ASISH MOHAN, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./001/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide Notification ICSI No.710/2 (1), dated the 16th September, 1982 and subsequently amended vide:

- (i) Notification No. ICSI/710/2/M(1) dated the 30th March, 1984;
- (ii) Notification No. ICSI/710/2/M(1) dated the 3rd May, 1984;
- (iii) Notification No. 710:2:(M)(1) dated the 30th December, 1985;
- (iv) Notification No. 710(2)(M)(1) dated the 23rd February, 1987;
- (v) Notification No. 710(2)(M)(1) dated the 9th March, 1987;
- (vi) Notification No. ICSI/710(2)(M)(2) dated the 22nd August, 1988;
- (vii) Notification No. 710(2)(M)(2) dated the 23rd August, 1988;
- (viii) Notification No. 710/1(M)/1/18 dated the 20th August, 1993 and 24th November, 1993;
- (ix) Notification No. 710/1(M)/17 dated the 21st February, 1995;
- (x) Notification No. 710/1(M)/20 dated the 28th November, 1996;
- (xi) Notification No. ICSI/710/2/M/26 dated the 10th August, 2001;
- (xii) Notification No. 710/1(M)/1 dated the 4th May, 2006;
- (xiii) Notification No. 710/1(M)/1 dated the 26th June, 2006;
- (xiv) Notification No. 531:legal:710/1(M)/1 dated the 26th July, 2010;
- (xv) Notification No. 710/1(M)/2 dated the 4th June, 2012;
- (xvi) Notification No. 710/1(M)/1 dated the 1st April, 2014;
- (xvii) Notification No. 710/1(M)/1 dated the 3rd February, 2020.